



सर्वोच्च न्यायालय में मामलों की अधिकता को कम करना

यह एडिटरियल 28/11/2023 को 'द हट्टू' में प्रकाशित ["It's time to revamp the structure of the Supreme Court"](#) लेख पर आधारित है। इसमें चर्चा की गई है कि समय आ गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना में सुधार किया जाए जो वर्तमान में देश में एकल शीर्ष न्यायालय है।

प्रलिस के लिये:

भारत सरकार अधिनियम, 1935, [सर्वोच्च न्यायालय](#), अनुच्छेद 124, [C.JI](#), [ई-फाइलिंग](#), [भारत का वधि आयोग](#), [जनहति याचिकाएँ](#), विशेष अनुमति याचिकाएँ (SLP), [अनुच्छेद 145](#), [अनुच्छेद 143](#), सर्वोच्च न्यायालय का विकास

मेन्स के लिये:

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामले: लंबित मामलों से संबंधित आँकड़े, लंबित मामलों के पीछे के कारण और लंबित मामलों को कम करने के लिये आगे की राह

वर्तमान में न्यायिक प्रणाली में लंबित मामलों की बड़ी संख्या या 'बैकलॉग' की स्थिति पाई जाती है, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय के 34 न्यायाधीशों के समक्ष 80,000 से अधिक मामले समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह बैकलॉग एक उल्लेखनीय चुनौती को प्रकट करता है जसिने शीर्ष न्यायालय के भीतर संरचनात्मक सुधारों के बारंबार आह्वान को प्रेरित किया है। लंबित मामलों की विशाल संख्या न केवल मौजूदा न्यायिक अवसंरचना पर दबाव को उजागर करती है बल्कि एक अधिक कुशल एवं सुव्यवस्थित कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता को भी रेखांकित करती है।

हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में क्या जानते हैं?

- संवधान के [अनुच्छेद 124](#) के तहत स्थापित [सर्वोच्च न्यायालय](#) (Supreme Court) देश का [सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण](#) है।
- इसके पास संवधान की व्याख्या, कानूनों की वैधता और मूल अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े मामलों को सुनने तथा उन पर नरिणय लेने की शक्ति है।
- यह सभी नागरिक और आपराधिक मामलों के लिये [अपील की अंतिम अदालत](#) के रूप में भी कार्य करता है।
- इसमें [भारत के मुख्य न्यायाधीश](#) (Chief Justice of India- CJI) और 34 से अनधिक अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं, जिनकी नियुक्ति [भारत के राष्ट्रपति द्वारा](#) की जाती है।
- सर्वोच्च न्यायालय के अपने नियम एवं प्रक्रियाएँ हैं और वह विभिन्न प्रकार के आदेश और नरिणय जारी कर सकता है।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का विकास कैसे हुआ?


- औपनिवेशिक काल के दौरान देश में [तीन सर्वोच्च न्यायालय](#): बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में थे।
- भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 ने [सर्वोच्च न्यायालयों](#) को अलग-अलग क्षेत्रों के लिये [उच्च न्यायालयों से प्रतस्थापित](#) कर दिया।
- [भारत सरकार अधिनियम, 1935](#) ने प्रविी काउंसिल और उच्च न्यायालयों के लिये एक अपीलीय निकाय के रूप में [भारत के संघीय न्यायालय \(Federal Court of India\)](#) का [नरिमाण](#) किया।
- भारत ने 26 नवंबर, 1949 को अपना संवधान अंगीकृत किया जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। [सर्वोच्च न्यायालय](#) (जैसा इसका वर्तमान स्वरूप है) की [स्थापना 28 जनवरी, 1950](#) को संवधान के [अनुच्छेद 124](#) के तहत भारत के स्वतंत्र और लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के दो दिने बाद की गई।
 - [अनुच्छेद 130](#) के तहत इसे दलिली में अधिविष्ट किया गया जो अभी भी इसका स्थान है।
- स्वतंत्रता के बाद स्थापित पहले सर्वोच्च न्यायालय में [मुख्य न्यायाधीश](#) सहित आठ न्यायाधीश शामिल थे।
 - साल-दर-साल कार्य के बढ़ते बोझ और अनसुने मुकदमों की बढ़ती संख्या के साथ भारतीय संसद ने न्यायाधीशों की संख्या वर्ष 1950 में 8 से बढ़ाकर 1956 में 11, 1960 में 14, 1978 में 18, 1986 में 26, 2009 में 31 और वर्ष 2019 में 34 कर दी।
 - [अनुच्छेद 124](#) के तहत संवधान संसद को [सर्वोच्च न्यायालय की सदस्य संख्या बढ़ाने की शक्ति](#) प्रदान करता है।

सर्वोच्च न्यायालय के कतिने क्षेत्राधिकार हैं?

- संविधान के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के **तीन क्षेत्राधिकार**: मूल, अपीलीय और सलाहकारी हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय एक **संवैधानिक न्यायालय** (Constitutional Court) के साथ-साथ **अपील न्यायालय** (Court of Appeal) के रूप में भी कार्य करता है। न्यायालय अलग-अलग आकार की पीठ (benches) के रूप में मामले की सुनवाई करता है, जिसका निर्धारण **भारत के मुख्य न्यायाधीश** (जो 'मास्टर ऑफ द रोस्टर' है) के निर्देशों पर रजिस्ट्री द्वारा किया जाता है।
- सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ (Constitution Benches) में आमतौर पर **पाँच, सात या नौ न्यायाधीश** शामिल होते हैं जो संवैधानिक विधि से संबंधित किसी विशिष्ट मुद्दे पर विचार-विमर्श करते हैं।
 - संविधान के **अनुच्छेद 145(3)** में संविधान पीठ के गठन का उपबंध किया गया है।
 - इसमें कहा गया है कि "जिस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलति है उसका निश्चय करने के प्रयोजन के लिये या **अनुच्छेद 143** (जो राष्ट्रपति की परामर्श लेने की शक्ति से संबंधित है) के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिये बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या पाँच होगी।"

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कतिने मामले लंबित हैं?

- राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के अनुसार (सितंबर 2023 तक की स्थिति):
 - सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों की संख्या **80,344** थी।
 - इनमें से **78% दीवानी मामले** हैं जबकि **22% आपराधिक मामले** हैं।
- उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उसके समक्ष अब तक दायर कुल 37,777 मामलों में से 36,164 का निपटारा वर्ष 2023 तक कर लिया था।
 - सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित 4,000 से अधिक मामले एक दशक से अधिक समय से लंबित पड़े हैं।



लंबित मामलों की इस बड़ी संख्या के पीछे के प्रमुख क्या कारण हैं?

- **न्यायाधीशों की कम संख्या**: वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में **34 न्यायाधीश नियुक्त** किये जा सकते हैं लेकिन अगस्त 2023 तक की स्थिति के अनुसार **केवल 32 न्यायाधीश ही नियुक्त** किये गए थे। इस प्रकार दो रक्तियाँ मौजूद हैं जिन्हें तत्काल भरने की आवश्यकता है।
 - भारत में न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात (judge-to-population ratio) भी अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है।
 - **राज्यसभा** में विधि मंत्री द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अनुसार **भारत में प्रतिदिस लाख जनसंख्या पर लगभग 21 न्यायाधीश** मौजूद हैं।
 - यह प्रतिदिस लाख लोगों पर 50 न्यायाधीशों के वैश्विक औसत से व्यापक रूप से कम है।
 - इसके अलावा, न्यायालयों की नियुक्ति के लिये कॉलेजियम (collegium) द्वारा की जाने वाली अनुशासकों की पूर्ति में सरकार प्रायः देरी कर देती है।
- **न्यायाधीशों की अनुपस्थिति**: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रायः **वभिन्न आधिकारिक एवं गैर-आधिकारिक समारोहों (जैसे सम्मेलन, सेमिनार, उद्घाटन आदि) में भाग लेना पड़ता है**, जिसमें उनका बहुमूल्य समय बर्बाद होता है और मामलों की सुनवाई के लिये उनकी उपलब्धता प्रभावित होती है।
 - इसके अलावा, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत या अवकाश जैसे वभिन्न कारणों से भी उनकी अनुपलब्धता की स्थिति बिनती है।

- सर्वोच्च न्यायालय वार्षिक ग्रीष्मावकाश पर भी रहता है, जो आमतौर पर मई माह के अंत से सात सप्ताह की अवधि का होता है।
- **भारत के वधिआयोग** (Law Commission of India) की एक रपिर्ट के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने न्यायिक कार्यकरण के लिये वर्ष में **193 कार्यदविस** ही हैं।
- **अवसंरचना की कमी:** सर्वोच्च न्यायालय को कोर्ट रूम, कर्मचारी, प्रौद्योगिकी इत्यादि के रूप में पर्याप्त अवसंरचना की कमी का सामना करना पड़ता है, जो इसकी दक्षता एवं उत्पादकता को बाधित करता है।
 - उदाहरण के लिये, सर्वोच्च न्यायालय में केवल **17 कोर्ट रूम** मौजूद हैं, जो सभी पीठों और मामलों को समायोजित कर सकने के लिये पर्याप्त नहीं हैं।
 - न्यायालय के कर्मचारियों को **कम वेतन, खराब प्रशिक्षण और उच्च कार्यभार** जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है।
 - हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने मामलों के दुरुत और सुगम नपिटान के लिये **वीडियो कॉन्फरेंसिंग, ई-फाइलिंग, डिजिटल लाइब्रेरी** आदि जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों का प्रयोग शुरू किया है, लेकिन वे आम जनता के बीच अधिक लोकप्रिय नहीं हैं।
- **उच्च न्यायालयों से प्राप्त अपील:** यह पाया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त अपीलों में से अधिकांश **उच्च न्यायालयों से** आए हैं जो **सर्वोच्च न्यायालय के निकट स्थित हैं**।
 - अर्थात्, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय से प्राप्त अपीलों एक बड़ी हस्सिसेदारी रखती हैं, जबकि दिल्ली में अवस्थित सर्वोच्च न्यायालय से दूर अवस्थित न्यायालयों से पहुँच एवं लागत संबंधी कठनाइयों के कारण कम अपीलों दायर की गईं।
- **नरिर्थक/अगंभीर/तुच्छ मामले दायर करना:** सर्वोच्च न्यायालय **भारत में अपील का सर्वोच्च न्यायालय है** और इसके पास देश में किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी भी नरिणय या आदेश के वरिुद्ध अपील सुनने की शक्ति है। हालाँकि, इस शक्ति का प्रायः उन वादियों द्वारा दुरुपयोग किया जाता है जो सर्वोच्च न्यायालय में नरिर्थक/अगंभीर/तुच्छ या तंग करने वाले अपील (frivolous or vexatious appeals) दायर करते हैं।
 - अपने अत्यंत व्यापक क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने वभिनिन नरिर्थक **जनहति याचिकाओं** पर भी वधिार किया है, जैसे कि कुरान से कुछ अंशों को हटाने या **संवधान की प्रस्तावना** से धरमनरिपेक्षता को हटाने की मांग।
 - 'पीआरएस लेजसिलेटिव रिसर्च' (PRS Legislative Research) की एक रपिर्ट के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2016 में दायर **वशिष अनुमत याचिकाओं (Special Leave Petitions- SLPs)** में से 86% को स्वीकार कर लिया था।
 - यह न्याय तक पहुँच पर भारत के वधिआयोग के वर्ष 2009 की रपिर्ट में अनुशंसति 25% की स्वीकृति दर से काफी अधिक है।

लंबति मामलों को कम करने के लिये कौन-से सुधार उपाय किये जाने चाहिये?

- **सर्वोच्च न्यायालय को दो प्रभागों में वभिजति करना:** भारत के **10वें वधिआयोग** ने प्रस्तावति किया था कि सर्वोच्च न्यायालय को **दो प्रभागों में वभिजति किया जाए: संवधानिक प्रभाग और वधिकि प्रभाग**। प्रस्ताव में कहा गया कि केवल संवधानिक वधिसे संबंधित मामलों को ही प्रस्तावति संवधानिक प्रभाग के समकष लाया जाए।
 - इस प्रस्ताव को दोहरते हुए **11वें वधिआयोग ने वर्ष 1988 में कहा** कि सर्वोच्च न्यायालय को पृथक भागों में वभिजति करने से न्याय अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध होगा और वादियों द्वारा भुगतान किये जाने वाले शुलक में उल्लेखनीय कमी आएगी।
- **SLPs के लिये एक राष्ट्रीय अपील न्यायालय की स्थापना करना:** **1986** (1986) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक **राष्ट्रीय अपील न्यायालय (National Court of Appeal)** की स्थापना करना 'वांछनीय' है जो वशिष अनुमत याचिकाओं पर वधिार करने में सक्षम होगा। इससे सर्वोच्च न्यायालय को केवल संवधानिक और सार्वजनिक कानून से संबंधित प्रश्नों पर वधिार करने की अनुमतति मिलि सकेगी।
- **सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठों की स्थापना करना:** सर्वोच्च न्यायालय को और अधिक सुलभ बनाने की दशिा में एक कदम के रूप में **229वें वधिआयोग की वर्ष 2009 की रपिर्ट** में गैर-संवधानिक मुद्दों की सुनवाई करने के लिये **दिल्ली, चेन्नई या हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में चार क्षेत्रीय पीठें** स्थापति करने की अनुशंसा की गई।
 - इसने चार क्षेत्रीय पीठों में प्रत्येक क्षेत्र से छह न्यायाधीशों को अपीलीय उत्तरदायतिव सौपने की सफिराशि की, जबकि नई दिल्ली अवस्थति संवधान पीठ नयिमति रूप से कार्य करती रहती।
 - इसने कहा कि गैर-संवधानिक मामलों के भारी बैकलॉग को क्षेत्रीय पीठों के बीच वभिजति कर सर्वोच्च न्यायालय "संवधानिक मुद्दों और राष्ट्रीय महत्त्व के अन्य मामलों को दनि-प्रतदिनि के कार्यकरण के आधार पर नपिता सकता है।"
- **कार्यदविसों की संख्या बढ़ाना:** **मलमिथ समति (Malimath Committee)** ने सुझाव दिया कि लंबति मामलों की बड़ी संख्या को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय के **206 कार्यदविस होने चाहिये** और इसकी अवकाश अवधि को **21 दिनों तक कम किया जाना चाहिये**।
 - वर्ष **2009 के वधिआयोग** ने अपनी **230वीं रपिर्ट** में सुझाव दिया कि लंबति मामलों को कम करने में मदद करने के लिये न्यायपालिका के सभी स्तरों पर अवकाश अवधि में **10-15 दिनों की कटौती की जानी चाहिये**।
- **एक अंतिम अपील न्यायालय और एक स्थायी संवधान पीठ की स्थापना करना:** एक अंतिम अपील न्यायालय और एक स्थायी संवधान पीठ के गठन के साथ सर्वोच्च न्यायालय के कार्य का **बँटवारा किया जाना चाहिये**।
 - इससे संवधानिक प्राधिकरण के तहत दायर मामलों को अपीलीय एवं समीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत दायर मामलों से स्पष्ट रूप से पृथक कर अधिक न्यायिक स्थरिता एवं नरितरता सुनश्चिति की जा सकेगी।
- **अवसंरचना के लिये एक समरपति प्राधिकरण स्थापति करना:** भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण (National Judicial Infrastructure Authority of India- NJIAI) स्थापति करने का प्रस्ताव रखा, जो न्यायिक अवसंरचना को बेहतर बनाने में मदद करेगा जसि पर वर्तमान में तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

नष्िकरष

सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों का भारी बोझ तत्काल सुधारों की आवश्यकता को उजागर करता है। न्यायाधीशों की कमी, अपर्याप्त अवसंरचना और नरिस्थक अपील जैसे मुद्दों को संबोधित करना अत्यंत आवश्यक है। कार्यदविस की संख्या बढ़ाने, क्षेत्रीय पीठों की स्थापना करने और वशिष अदालतों संभावना तलाशने जैसे उपाय दक्षता एवं पहुँच को बढ़ा सकते हैं। इन सुधारों को अपनाने से भारत में अधिक संवेदनशील और प्रभावी न्यायपालिका का नरिमाण कया जा सकता है।

अभ्यास प्रश्न: भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बड़ी संख्या में योगदान देने वाले कारकों की चर्चा कीजिये। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वदियमान चुनौतियों का समाधान करने के लयि आवश्यक प्रमुख सुधारों पर वचार कीजिये।

वधिक दृष्टिकोण:<https://www.drishtijudiciary.com/hin/Important-institutions-organizations/supreme-court-of-india>

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

????????

प्रश्न. भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में, नमिनलखिति कथनों पर वचार कीजिये: (2021)

1. भारत के राष्ट्रपतकी पूर्वानुमतसे भारत के मुख्य न्यायमूरतद्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानवृत्त कसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है।
2. भारत में कसी भी उच्च न्यायालय को अपने नरिणय के पुनरवलोकन की शक्तप्राप्त है, जैसा क उच्चतम न्यायालय के पास है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर:(c)

??????

प्रश्न. भारत में उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नयुक्तके संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायकि नयुक्तआयोग अधनियिम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (2017)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/reducing-supreme-court-s-case-overload>